न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 69/2018 दायरा दिनांक : 07.05.2018

उनवान

1– शिवसिंह वल्द जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– नानू राम वल्द जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– नन्दू बाई पुत्री जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– दरयाब बाई पुत्री जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– धापू बाई पुत्री जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– लड्डू बाई पुत्री जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– सूरज बाई बेवा जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8– मांगी बाई पुत्री मोहन लाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

9– राधी बाई बेवा मोहन लाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

10– सौरभ पुत्री मोहन लाल नाबालिग जर्ये वली माता राधी बाई पत्नी मोहन लाल मोहन लाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

11– पिंकी पुत्री मोहन लाल नाबालिग जर्ये वली माता राधी बाई पत्नी मोहन लाल, मोहन लाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– पन्ना लाल वल्द जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– रामबिलास वल्द मोहनलाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– उपपंजीयक अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ए के जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.09.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 145/दावा/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट कम 1 वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री कर रेस्पोडेंट कम 1 को ग्राम जामुनिया के खसरा नम्बर 16 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा एवं खाता

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

संख्या 102 की 9 किता की 12 बीघा 1 बिस्वा आराजी के खातेदार घोषित कर इंतकाल नम्बर 228 दिनांक 22.09.2009 वादी के टीनेन्सी अधिकारों के विरूद्ध घोषित करने का निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है, सालगा के कोई औलाद नहीं होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक सालगा का फौती नामान्तरकरण नम्बर 228 वादी एवं प्रतिवादीगण के हक में खोला गया, उस वक्त वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई और नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई । कानूनन नामान्तरकरण 228 रेस्पोडेंट क्रम 1 के हितों के विरूद्ध बेअसर घोषित नहीं किया जा सकता । रेस्पोडेंट क्रम 1 वादी द्वारा वसीयतनामा दिनांक 06.11.2001 को आलेखित करवाया जाना जाहिर किया । वसीयतनामे को बिना किसी आधार के साबित होना अधीनस्थ न्यायालय ने मान लिया, जबकि वसीयतनामे के गवाह बरधा व मोडसिंह पेश नहीं किये गये हैं और वसीयतनामा को लिखने वाला डीडराईटर भी पेश नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट क्रम 1 वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा कानूनी प्राावधानों के तहत प्रमाणित नहीं है तथा वसीयतनामा एक्जीविट भी नहीं करवाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामें के मामले में तनकी नम्बर 1 कायम की थी परन्तु तनकी नम्बर 1 के निर्णय में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि वसीयतनामा एक्जीविट करवाया हो या सालगा या गवाहों का निशानी अंगूठा होने की ताईद की हो । सालगा के अगूठें पर भी कोई प्रमाणीकरण का अंकन नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकीयात का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत किया है । वसीयत कानूनी प्राावधानों के तहत प्रमाणित नहीं की गई है, वसीयत पंजीकृत हो तब भी उसे दो गवाहों के द्वारा प्रमाणित किया जाना कानूनन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में तथाकथित वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट क्रम 1 पन्ना को कोई हक व अधिकार विवादित आराजी में प्राप्त नहीं होते हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर

(नरेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2017 निरस्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु अभिभाषक नियुक्त कर रखा था और हर पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अभिभाषक ने मना कर रखा था और बहस के दिन उन्होंने कहा था कि फैसले की सूचना मैं भेज दूंगा परन्तु उनकी सूचना का भेजा हुआ पत्र प्राप्त नहीं हुआ और प्रार्थीगण काश्तकारी व मजदूरी करने बाहर चले गये और आने पर वकील साहब से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि दावा डिक्री हो गया है इस प्रकार जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई एवं लिखित बहस में कथन किया कि विवादित आराजी 12 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार सालगा वल्द देवा, जाति लोधा के खाते की स्थित है । सालगा के कोई वारिसान नहीं होने से वसीयतनामा दिनांक 06.11.2001 को तस्दीक करवा दिया गया था । गत वर्ष सालगा फौत हो गया है । सालगा की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी इंतकाल नम्बर 228 दिनांक 22.10.2009 से अपने खाते दर्ज करवा ली, परन्तु वादी द्वारा कई बार कहने पर भी खाते से नाम हटाने के लिये इंकार कर दिया इसलिए वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे । तथाकथित वसीयतनामा खातेदार सालगा की अस्वथ्य मानसिक हालत में करवाना जाहिर होता है, उक्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है इसलिए उसे वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था । विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में वाद

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

चलने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद से वाद की मद नं. 4 से यह स्पष्ट है कि वादी ने अपने को सालगा का पुत्र बताया एवं वसीयत होना भी बताया, ऐसी स्थिति में दोनों प्ली एक साथ चलने योग्य नहीं है । वादी रेस्पोडेंट कम 1 अपने आपको सालगा का पुत्र साबित नहीं कर सके हैं और राजस्व न्यायालय को पुत्र घोषित करने का अधिकार भी नहीं है एवं वसीयत को विधिवत रूप से साबित नहीं किया है । वसीयत लिखने वाले दोनों गवाह बरधा व मोरसिंह के द्वारा वसीयत प्रमाणित नहीं की गई और किसी भी गवाह ने वसीयत पर सालगा के निशानी अंगूठे को प्रमाणित नहीं किया जबकि कानूनन पंजीकृत वसीयत को विधिवत रूप से साबित किया जाना आवश्यक है । गवाहान की साक्ष्य के अभाव में वसीयत संदेहास्पद है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर बी जे 2016 पेज 41 की नजीर पेश की जो शमिल पत्रावली की गई ।

अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा लिखित पेश की गई । ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा में 9 किता की 12 बीघा 1 बिस्वा आराजी का खातेदार टीनेन्ट सालगा पुत्र देवा था । सालगा के कोई संतान नहीं होने से उसने अपने खाते की उक्त आराजी अपने जीवनकाल में अपनी स्वयं की इच्छा से एवं बिना किसी दबाव के रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 6.11.2001 के द्वारा पन्ना पुत्र जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर के पक्ष में करवा दी थी, परन्तु अपीलांट के द्वारा ग्राम पंचायत से मिली भगत करके इंतकाल नम्बर 228 दिनांक 01.09.2009 को अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सभी के पक्ष में खुलवा कर रेस्पोडेंट कम 1 की गैर मौजूदगी में तस्दीक करवा लिया और जमाबंदी में नाम अंकित करवा लिया । रेस्पोडेंट कम 1 पन्ना वादी को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर उसने इंतकाल को निरस्त करवाने हेतु एवं आराजी को अपने एक मात्र खाते दर्ज करवाने हेतु घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया । उक्त वाद की समस्त ट्रायल पूरी होने पर

(महेश लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त वाद रेस्पोडेंट नम्बर 1 वादी के पक्ष में डिक्री एवं निर्णय पारित कर दिया, जिसमें किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है । इस कारण से अपीलांट की अपील आधारहीन एवं प्रभावहीन होने के कारण हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांट प्रतिवादीगण को उक्त रजिस्टर्ड वसीयत से किसी भी प्रकार की विधिक आपत्ति थी तो उन्हें उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को सिविल न्यायालय में चेलेन्ज करना चाहिए था। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि खातेदार टीनेन्ट अपने खाते की या खाते में से अपने हिस्से की वसीयत करने का उसे धारा 39 टीनेन्सी एक्ट के तहत पूर्ण अधिकार है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 वादी पन्नालाल ने स्वयं के बयान एवं गवाहों के बयानों से अपने वाद को पूर्णतया प्रमाणित करवाया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है । अतः अपील खारिज की जावे एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 2019 पेज 51, आर आर डी 2019 पेज 78, आर टी एक्ट सेक्शन 39 धारा 36 क–41, आर आर डी 1988 पेज 23, आर आर डी 1994 पेज 638 नजीरें पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में वसीयतनामा दिनांक 06.11.2001 एक्जीविट 2 से प्रदर्शित किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि खातेदार सालरा पिता देवा द्वारा अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत पन्ना लाल वल्द जगन्नाथ के नाम की गई है । इस वसीयतनामे को दिनांक 06.11.2001 को उपपंजीयक अकलेरा द्वारा पंजीकृत करवाया गया है । सालरा के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 23.09.2009 जो मृतक सालरा के स्थान पर पन्ना लाल, शिव सिंह, नानूराम पिता जगन्नाथ, नन्दू बाई, दरियाव बाई, धापू बाई, लड्डू बाई पिता जगन्नाथ, सरजू बाई बेवा जगन्नाथ, मांगी बाई पुत्री मोहनलाल, रामबिलास पुत्र मोहनलाल, सोरम पुत्र मोहन लाल,

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पिंकी पुत्री मोहनलाल, राधीबाई बेवा मोहनलाल के नाम खोलने का अंकन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होना स्पष्ट प्रतीत होता है क्योंकि जिस आराजी की पूर्व में रजिस्टर्ड वसीयत हो चुकी है उस रजिस्टर्ड वसीयत का अवलोकन करने के पश्चात ही इंतकाल खोलने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी । यदि अपीलांट को यह वसीयत फर्जी लगती है तो उक्त वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त करवा कर अपने अधिकारों की चाराजोही न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– शिवसिंह वल्द जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
2– नानू राम वल्द जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
3– नन्दू बाई पुत्री जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
4– दरयाब बाई पुत्री जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
5– धापू बाई पुत्री जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
6– लड्डू बाई पुत्री जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
7– सूरज बाई बेवा जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
8– मांगी बाई पुत्री मोहन लाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
9– राधी बाई बेवा मोहन लाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
10– सौरभ पुत्री मोहन लाल नाबालिग जर्ये वली माता राधी बाई पत्नी मोहन लाल मोहन लाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
11– पिंकी पुत्री मोहन लाल नाबालिग जर्ये वली माता राधी बाई पत्नी मोहन लाल, मोहंन लाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

..... **अपीलांट**

बनाम

1– पन्ना लाल वल्द जगन्नाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
2– रामबिलास वल्द मोहनलाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम जामुनियां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
3– उपपंजीयक अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय जिला झालावाड़
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. **69 / 2018** एवं नाराजगी डिकी अदालत – <u>उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा</u>

मु.द.नं 145 / दावा / 2009 निर्णय अंतिम डिकी दिनांक **27.12.2017**

<u>दावा बाबत</u>

माह अपील व तारीख 14 माह **09** सन् **2020**

हाजरी श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री ए.के.जैन अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

मिनजानिब समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.12.2017 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **24** माह **09** सन् **2020** को जारी किया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.

मोहर